न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 28 / 2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 172

प्रार्थीगण

1. धीराराम पुत्र रगाराम, उम्र– 58 वर्ष।
2. माधाराम पुत्र रगाराम, उम्र– 53 वर्ष, जातियान कलबी, निवासीगण लुणियासर, तहसील– सांचौर, जिला– जालोर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. उकाराम पुत्र नगा।
2. करमीराम पुत्र नगा।
3. चेलाराम पुत्र नगा।
4. पूनमाराम पुत्र नगा।
5. जसीदेवी पत्नी पदमाराम फौत के कायम मुकाम
   क. जोगाराम पुत्र पदमाराम।
   ख. नरसीराम पुत्र पदमाराम ।
6. जोगाराम पुत्र पदमाराम।
7. नरसीराम पुत्र पदमाराम।
8. अमराराम पुत्र केहराराम।
9. दीपाराम पुत्र केहराराम।
10. रतनाराम पुत्र केहराराम।
11. कानाराम पुत्र धनाराम।
12. राणाराम पुत्र धनाराम।
13. रावताराम पुत्र धनाराम।
14. धना पुत्र अना फौत के कायम मुकाम
    क. कानाराम पुत्र धनाराम।
    ख. राणाराम पुत्र धनाराम।
    ग. रावताराम पुत्र धनाराम।
15. रगा पुत्र अन्ना।
16. केहरा पुत्र रूपा, जातियान कलबी, निवासीगण लुणियासर, तहसील– [illegible] जिला– जालोर [illegible]ज.)।
17. शाखा [illegible] राजस्थान [illegible] ग्रामीण बैंक, शा[illegible] सांचौर।
18. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा– पांचला।
19. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा– सांचौर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

अनवान:— धीराराम बनाम उकाराम
मुकदमा नम्बर:— 28 / 2025
निर्णय तारीख:— 04.08.2025

20. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा— सांचौर।
21. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा— पथमेड़ा।
22. तहसीलदार (भूमिधारी), सांचौर।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कलबी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 16 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी
3. अप्रार्थी संख्या 22 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:— निर्णय :—

दिनांक:— 04.08.2025

1. अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि हम प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा लुणियासर, पटवार हल्का— नानोल, तहसील— सांचौर मे खेत खाता संख्या 124 के खेत खसरा संख्या 495 / 895 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म जाव दोयम, खसरा संख्या 496 रकबा 2.43 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 497 रकबा 0.99 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 497 / 853 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, कुल रकबा 3.58 हैक्टेयर भूमि का आया हुआ है। जिस पर हम प्रार्थीगण काबित काश्त है। तथा हम प्रार्थीगण सपरिवार निवासरत है व काश्त करते आ रहे है। तथा उक्त खातेदारी खेत मे आवागमन का कोई अन्य कदीमी रास्ता नही है। तथा उक्त खातेदारी खेत में आवागमन का निकटतम कदीमी रास्ता मौजा लुणियासर, पटवार हल्का— नानोल, तहसील— सांचौर के खेत खसरा संख्या 518 रकबा 7.20 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार उकाराम, करमीराम, चेलाराम व पूनमाराम), खसरा संख्या 513 रकबा 2.63 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार [illegible]), खसरा संख्या 504 रकबा 1.39 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार [illegible]मराराम, दीपाराम व रतनाराम), खसरा संख्या 510 रकबा 1.52 हैक्टेयर [illegible] (खातेदार कानाराम, राणाराम व रावताराम), खसरा संख्या 963 / 510 रकबा 0.59 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम, खसरा संख्या 509 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडा (खातेदार धना फौत के कायम मुकाम कानाराम, राणाराम व रावताराम), खसरा संख्या 507 रकबा 2.96 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार रगा पुत्र अन्ना), खसरा संख्या 499 रकबा 5.54 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार केहरा पुत्र रूपा) भूमि मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

सलंग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में लाल रंग से दर्शाया गया है। जो हम प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायहित मे अति आवश्वयक है। यह है कि मौजा लुणियासर, पटवार हल्का– नानोल, तहसील– सांचौर के खेत खसरा संख्या 518 रकबा 7.20 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार उकाराम, करमीराम, चेलाराम व पूनमाराम), खसरा संख्या 513 रकबा 2.63 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार जोगाराम व नरसीराम), खसरा संख्या 504 रकबा 1.39 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार अमराराम, दीपाराम व रतनाराम), खसरा संख्या 510 रकबा 1.52 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार कानाराम, राणाराम व रावताराम), खसरा संख्या 963 / 510 रकबा 0.59 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम, खसरा संख्या 509 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडा (खातेदार धना फौत के कायम मुकाम कानाराम, राणाराम व रावताराम), खसरा संख्या 507 रकबा 2.96 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार रगा पुत्र अन्ना), खसरा संख्या 499 रकबा 5.54 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार केहरा पुत्र रूपा) भूमि मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' मे लाल रंग से दर्शाये अनुसार अवाप्त कर हम प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत मे आवागमन करने हेतू रास्ता दिलाया जाये। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार स्वीकार फरमाकर हम प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे आने–जाने हेतू अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा लुणियासर, पटवार हल्का– नानोल, तहसील– सांचौर के खेत खसरा संख्या 518 रकबा 7.20 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार उकाराम, करमीराम, चेलाराम व पूनमाराम), खसरा संख्या 513 रकबा 2.63 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार जोगाराम व नरसीराम), खसरा संख्या 504 रकबा 1.39 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार अमराराम, दीपाराम व रतनाराम), खसरा संख्या 510 रकबा 1.52 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार कानाराम, राणाराम व रावताराम), खसरा संख्या 963 / 510 रकबा 0.59 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम, खसरा संख्या 509 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडा (खातेदार धना फौत के कायम मुकाम कानाराम, राणाराम व रावताराम), खसरा संख्या 507 रकबा 2.96 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार रगा पुत्र अन्ना), खसरा संख्या 499 रकबा 5.54 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार केहरा पुत्र रूपा) भूमि मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' मे लाल रंग से उल्लेखित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ते की भूमि के रूप मे दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

1. प्रार्थीगण का प्रार्थना–दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 16 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी [illegible] से तर्क किया गया।
2. अप्रार्थी 1 से 16 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी द्वारा जवाब प्रार्थना [illegible] पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– प्रार्थीगण की भूमि ग्राम लुणियासर, पटवार हल्का– नानोल, तहसील–सांचौर में आई हुई है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेतो में आवागमन करने हेतू रास्ते की आवश्यकता है, जो हम अप्रार्थीगण संख्या 01 उकाराम पुत्र नगा, 02 करमीरामः पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

नगा, 03 चेलाराम पुत्र नगा, 04 पूनमाराम पुत्र नगा, 05 जसीदेवी पत्नी पदमाराम फौत के कायम मुकाम जोगाराम व नरसीराम, 06 जोगाराम पुत्र पदमाराम, 37 नरसीराम पुत्र पदमाराम, 08 अमराराम पुत्र केहराराम, 09 दीपाराम पुत्र केहराराम, 10 रतनाराम पुत्र केहराराम, 11 कानाराम पुत्र धनाराम, 12 राणाराम पुत्र धनाराम, 13 रावताराम पुत्र धनाराम, 14 धना पुत्र अना फौत के कायम मुकाम कानाराम, राणाराम, रावताराम, 15 रगा पुत्र अन्ना व 16 केहरा पुत्र रूपा के खातेदारी खेत मौजा लुणियासर, पटवार हल्का नानोल, तहसील सांचौर के खेत खसरा संख्या 518 रकबा 7.20 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार उकाराम, करमीराम, चेलाराम व पूनमाराम), खसरा संख्या 513 रकबा 2.63 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार जोगाराम व नरसीराम), खसरा संख्या 504 रकबा 1.39 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार अमराराम, दीपाराम व रतनाराम), खसरा संख्या 510 रकबा 1.52 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार कानाराम, राणाराम व रावताराम), खसरा संख्या 963 / 510 रकबा 0.59 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम, खसरा संख्या 509 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडा (खातेदार धना फौत के कायम मुकाम कानाराम, राणाराम व रावताराम), खसरा संख्या 507 रकबा 2.96 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार रगा पुत्र अन्ना), खसरा संख्या 499 रकबा 5.54 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार केहरा पुत्र रूपा) भूमि मे से 12 फीट चौड़ा नया रास्ता प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ठ अ में लाल रंग से दर्शायेनुसार भूमि को अवाप्त कर प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेतों में आवागमन करने हेतू रास्ता दिया जाये तो हमे कोई आप्पति नही है। तथा हमे उक्त भूमि के एवज मे पैसो की आवश्यकता नही है। तथा न ही कभी भविष्य मे पैसो की मांग करेगें। प्रार्थीगण को हम अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 के खातेदारी खेत मौजा लुणियासर, पटवार हल्का– नानोल, तहसील सांचौर के खेत खसरा संख्या 518 रकबा 7.20 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार उकाराम, करमीराम, चेलाराम व पूनमाराम), खसरा संख्या 513 रकबा 2.63 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार जोगाराम व नरसीराम), खसरा संख्या 504 रकबा 1.39 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार अमराराम, दीपाराम वरतनाराम), खसरा संख्या 510 रकबा 1.52 हैक्टेयर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम (खातेदार कानाराम, राणाराम व रावताराम), खसरा संख्या 963 / 510 रकबा 0.59 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम, खसरा संख्या 509 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडा (खातेदार धना फौत के कायम मुकाम कानाराम, राणाराम व रावताराम), खसरा संख्या 507 रकबा 2.96 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार रगा पुत्र अन्ना), खसरा संख्या 499 रकबा 5.54 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम (खातेदार केहरा पुत्र रूपा) भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता भूमि अवाप्त कर दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:27 IST
Reason: SelfAttested

3. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

4. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :— 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है—

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सु[illegible] के उ[illegible] के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर [illegible] जिसमें [illegible] सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत खसरा नम्बर 497 रकबा 0.99 हैक्टर में पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा अनुसार एव अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 द्वारा रास्ते हेतु दी गई सहमति प्रदान की गई। अतः प्रार्थीगण के खसरा नं. 497 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 518 रकबा 7.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 513 रकबा 2.63 हैक्टेयर, खसरा संख्या 504 रकबा 1.39 हैक्टेयर, खसरा संख्या 510 रकबा 1.52 हैक्टेयर, खसरा संख्या 963 / 510 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा संख्या 509 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 507 रकबा 2.96 हैक्टेयर , खसरा संख्या 499 रकबा 5.54 हैक्टेयर से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा लुणियासर पटवार हल्का नानोल के खसरा नंबर 497 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 518 रकबा 7.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 513 रकबा 2.63 हैक्टेयर, खसरा संख्या 504 रकबा 1.39 हैक्टेयर, खसरा संख्या 510 रकबा 1.52 हैक्टेयर, खसरा संख्या 963 / 510 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा संख्या 509 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 507 रकबा 2.96 हैक्टेयर , खसरा संख्या 499 रकबा 5.54 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:— आदेश :—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा अनुसार मौजा लुणियासर पटवार हल्का नानोल के खसरा नंबर 497 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 518 रकबा 7.20 हैक्टेयर, खसरा संख्या 513 रकबा 2.63 हैक्टेयर, खसरा संख्या 504 रकबा 1.39 हैक्टेयर, खसरा संख्या 510 रकबा 1.52 हैक्टेयर, खसरा संख्या 963 / 510 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा संख्या 509 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 507 रकबा 2.96 हैक्टेयर , खसरा संख्या 499 रकबा 5.54 हैक्टेयर में से 4 मीटर चौड़ाई रखते हुये तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:44:27 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार) (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **04.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर